भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू / **Integrated Regional Office, Jammu**
Camp Office : Integrated Regional Office, Chandigarh

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

SPEED POST/E-MAIL

File No. 9-JKB501/2020-JAMMU **Dated: 01.12.2020**

To
Addl. Chief Secretary (Forests),
U.T. of Jammu & Kashmir,
Civil Secretariat Jammu & Kashmir (www.csforestjk@gmail.com)

Sub: **Diversion of 1.2 ha of forest land in favour of National Highways &Infrastructure Development Corporation Ltd., PIU, Khellani for construction of Bi-directional tunnel at Km. 83rd length 495 meter including approach road of 664 meter and a major bridge of 110 meter from Km. 82+675 to Km. 82+925 onNH-244 in Jammu & Kashmir on EPC mode, under forest division and District Kishtwar, UT of Jammu & Kashmir (Online proposal no. FP/JK/Road/44916/2020)-regarding.**

Ref: i) Online proposal received on 24.06.2020
ii) Letter of Spl Secretary (Technical), Department of Forest, Env & Ecology bearing no FST/Land/Parivesh/23/2020-I dated 26/11/2020

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक **13.08.2020** द्वारा **सैधांनिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन सरक्षक के पत्र संख्या FST/Land/Parivesh/23/2020-I दिनांक **26.11.2020** द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतू **1.2** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान करती है।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी |
ii. कम से कम वृक्ष / पौधे काटे जायेंगे | काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 461 से अधिक नहीं होगी |
iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार 18/K, Bhumsheru, Range & Division Kishtwar में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 10,92,000/- रूपये (Rs. ten lakh ninety two thousand only) की राशि से 2,400 पौधें (2.40 ha area) लगाकर किया जायेगा |
iv. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें |**
v. **नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें |**
vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
vii. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |और
viii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

***बेज नं.** 24-25, सेक्टर-31 ए,**चंडीगढ़**-160030 / **Bays No.** 24-25, Sector-31 A, **Chandigarh**-160030*
***दूरभाष/Tel No** : 0172-2638061 **Fax No** : 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in*

- **ix.** स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- **x.** केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- **xi.** वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |
- **xii.** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी |
- **xiii.** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |
- **xiv.** यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |
- **xv.** कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
- **xvi.** अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- **xvii.** यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

भवदीय,

Sd/-
(के जेड भुटिया)
क्षेत्रीय अधिकारी
IRO, MoEF&CC, Jammu

Copy to:-

1. The ADGF (FC), Ministry of Environment, Forests, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, Aliganj, New Delhi. (adgfc-mef@nic.in)
2. The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), U.T. of Jammu & Kashmir, Forest Complex, Sheikh Bagh, Near Lal Chowk, Srinagar, J&K(www.pccfjkforest@gmail.com).
3. The Nodal Officer (FCA), U.T. of Jammu & Kashmir, Forest Complex, Sheikh Bagh,Near Lal Chowk, Srinagar, J&K (www.sarveshraiifs@gmail.com).
4. CEO, CAMPA O/o PCCF (HoFF), U.T. of Jammu & Kashmir, Forest Complex, Sheikh Bagh, Near Lal Chowk, Srinagar, J&K (www.jkcampacell@gmail.com).
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Kishtwar, J&K.
6. .National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd., PIU, Khellani(www.nhidclpiukhellani@gmail.com)..

Signature Not Verified

Digitally signed by KARMA ZIMPA BHUTIA
Date: 2020.12.01 14:49:50 IST

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, ***चंडीगढ़****-160030 /* ***Bays No.*** *24-25, Sector-31 A,* ***Chandigarh****-160030*
दूरभाष/Tel No *: 0172-2638061* ***Fax No :*** *0172-2638135* ***Email :*** *ronz.chd-mef@nic.in*